COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi 110 001

No. 4-6(13)/2012-HR (E-II)

Dated: 16.03.2015

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Delegation of power with regard to making compassionate appointment to family member of missing Council servant.

The undersigned is directed to invite attention to Rule 12 of consolidated instructions on compassionate appointments issued by the Government of India, Department of Personnel and Training issued vide OM No. 14014/02/2012-Estt. (D), dated 16.01.2013 wherein decision with regard to request for compassionate appointment to the family member of a missing Government servant is taken at the level of Secretary of the Ministry/Department.

In this regard, references are being received by CSIR Hqrs. from Laboratories/Institutes seeking approval of Secretary for compassionate appointment to the family member of missing Council employee(s). After a careful consideration of the matter, the Director General, CSIR has been pleased to accord approval to delegate the said power to the Director(s) of the respective CSIR Laboratories/Institutes for making compassionate appointments of the family member of the Council employee, declared missing by the appropriate authority within the scope of the guidelines/instructions issued on the subject.

> (Anjum Sharma) Under Secretary (LA/HR-II)

Copy to:

- 1. All the Directors/Heads of CSIR Laboratories/Institutes.
- 2. Heads of PPD, HRDC, IPU, HRDG, RAB and URDIP.
- Sr. CoA/CoA/AO of CSIR Lab./Instt.
- CoFA/FAO of CSIR Lab./Instt.
- US to the office of DG, CSIR.
- PA to Joint Secretary (Admn.), CSIR.
- 7. PS to FA, CSIR.
- 8. PS to CVO, CSIR.
- 9. Legal Adviser, CSIR.
- 10. Head IT with the request to upload this on CSIR website.
- 11. Office copy.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली -110 001

सं 4-6 (13) / 2012 - एचआर (ई -II)

दिनांक: 16.03.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : परिषद के लापता कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति करने के संबंध में शक्ति का प्रत्यायोजन |

अधोहस्ताक्षरी को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 14014 / 02 /2012 – स्था. (डी) दिनांक 16/01/2013 के द्वारा जारी अनुकंपा नियुक्तियों पर समेकित निर्देश के नियम 12 का ध्यानाकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिस के अंतर्गत एक लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित निर्णय मंत्रालय / विभाग के सचिव के स्तर पर लिया जाता है |

इस सम्बन्ध में परिषद के लापता कर्मचारी के परिवार के सदस्य के अनुकंपा नियुक्ति सम्बंधित प्रस्ताव सचिव के अनुमोदनार्थ सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों से मुख्यालय में प्राप्त हो रहे हैं | इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् महानिदेशक, सीएसआईआर ने, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा लापता घोषित, परिषद कर्मचारी के परिवार के सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति की शक्ति सीएसआईआर प्रयोगशालाओं / संस्थानों के सम्बंधित निदेशक को, इस विषय पर जारी दिशा/निर्देश के अंतर्गत नियुक्ति करने के लिए, प्रत्यायोजन करने की अनुशंसा कर दी है |

(अंजुम शर्मा)

अवर सचिव (प्र.प्रशा./ एचआर - II)

प्रतिलिपि :

- 1. सीएसआईआर की समस्त प्रयोगशालाओं / संस्थानों के निदेशक |
- 2. प्रमुख, पीपीडी , HRDC , आईपीयू , HRDG , और URDIP ।
- 3. सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
- 4. सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के नियंत्रक वित एवं लेखा/वित एवं लेखा अधिकारी ।
- 5. अवर सचिव-महानिदेशक, सीएसआईआर कार्यालय।
- 6. संयुक्त सचिव (प्रशा।), सीएसआईआर के निजी सहायक।
- 7. विन्त सलाहकार, सीएसआईआर के लिए निजी सचिव ।
- 8. मुख्य सतर्कता अधिकारी , सीएसआईआर के निजी सचिव |
- 9. विधि सलाहकार , सीएसआईआर ।
- 70. प्रमुख आईटी सीएसआईआर- सी. एस. आई. आर. की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के हेतु ।
 - 11. कार्यालय प्रति ।